पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ओ0पी0 चन्देलिया

प्रकरण सं0 : 75/2024

अनवान :

मैनपाल पुत्र मांगेराम जाति धाणक निवासी कुम्हारिया तह0 नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा।

:– वादी

बनाम

1. मांगेराम पुत्र भूपसिंह जाति धाणक निवासी कुम्हारिया तह0 नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा।
2. रूमन रानी पुत्री मांगेराम जाति धाणक निवासी कुम्हारिया तह0 नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा।
3. प्रियंका पुत्री मांगेराम जाति धाणक निवासी कुम्हारिया तह0 नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जुन बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी आंशिक साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गुरूदत खण्डापा बनाम हीराबाई खण्डापा ए.आई.आर.1978 सुप्रीम कोर्ट पेज न. 1239 तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा LICHHMA DEVI V/S RAMJILAL AND ORS. 122 R.R.D. 14.07.2008 PAGE NO. 478 के प्रकरण के मध्यनजर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अजीतपुरा के खाता सं0 473/459 के ख0सं0 920/7 की कुल 1.1300है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 मांगेराम के नाम दर्ज है। मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 मांगेराम का नाम कलमजन कर वादी मैनपाल को 4/5 हिस्से व मनोज पत्नी मांगेराम को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 07-06-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.06.19 10:29:54 IST
Reason: SelfAttested

07-06-24

(ओ.पी. चन्देलिया) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

CamScanner